कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

आवश्यक सूचना

परिवहन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 8135 दिनांक 23.11.2020, पत्रांक 8473 दिनांक 14.12.2020, पत्रांक 8471 दिनांक 14.12.2020 एवं ज्ञापांक 13100 दिनांक 30.10.2024 के आलोक में वाहन परिचालन हेतु निर्गत किये गये परमिट का शत–प्रतिशत इन्ट्री वाहन 4.0 सॉफ्टवेयर में किया जाना बाध्यकारी है। उक्त के आलोक में सभी मैनुअल परमिटधारी वाहन स्वामियों को सूचित किया गया था कि एक सप्ताह के अन्दर इस प्राधिकार द्वारा निर्गत परमिट को इस कार्यालय से वाहन 4.0 सॉफ्टवेयर में इन्ट्री करवाना सुनिश्चित करेंगे लेकिन अभी तक मैनुअल परमिटधारियों का आवेदन बहुत कम प्राप्त हुआ है।

अतः वाहन स्वामियों को अंतिम रूप से सूचित किया जाता है कि **तीन दिनों के अन्दर टाइम स्लॉट के साथ मैनुअल परमिट कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें अन्यथा वर्णित समयावधि के बाद मैनुअल परमिट का टाइम स्लॉट फ्री कर दिया जाएगा, प्राधिकार की बैठक में मैनुअल परमिट से आपत्ति स्वीकार नहीं किया जाएगा** साथ ही प्रवर्त्तन पदाधिकारियों द्वारा की गई शमन कार्रवाई या अन्य शिकायतों पर विचार नहीं किया जाएगा।

<u>इसके बाद कोई मौका नहीं दिया जाएगा।</u>

26.11.24

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।